पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0 05/24

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/05/24 दिनांक: 03.10.2024

विषय: दिनांक 27.07.24 को धनबाद मंडल के बरकाकाना स्टेशन पर एवं दिनांक 21.09.24 को का मुजफ्फरपुर स्टेशन यार्ड में शंटिग के दौरान शंटिंग नियमों की अवहेलना एवं शंट सिगनल को ऑन स्थिति में पार करने के कारण घटित अवपथन की घटनाएँ ।

1. संक्षिप्त विवरण:–

दिनांक 27.07.24 को लगभग 11.45 बजे धनबाद मंडल के बरकाकाना स्टेशन पर गाड़ी संख्या एन/जीसीसीपी के इलेक्ट्रिक लोको संख्या 38383/आसनसोल का लाइन न0 10 से लाइन न0 8 पर शंटिंग करते समय शंट सिगनल संख्या SH-133 को ऑन स्थिति में पार करने के परिणामस्वरूप इंजन के पतरातु इन्ड ट्रॉली के सभी चक्के का ट्रैप प्वाइंट संख्या 105 पर अवपथन हो गया ।

इसी प्रकार दिनांक 21.09.24 को गाड़ी संख्या 05289 के ट्रेन इंजन संख्या 51032/WAG-9/TKD का मुजफ्फरपुर स्टेशन यार्ड में शंटिग करते समय डिरेलिंग स्वीच संख्या 509 पर अवपथन हो गया । इसमें भी शंटर/लोको पायलट द्वारा शंट सिगनल संख्या 221 को ऑन स्थिति में पार किया गया जबकि डिरेलिंग स्वीच 509 खुली अवस्था में था । परिणामस्वरूप ट्रेन इंजन संख्या 51032/WAG-9/TKD का मुजफ्फरपुर स्टेशन यार्ड में शंटिग करते समय डिरेलिंग स्वीच संख्या 509 पर अवपथन हो गया ।

2. प्रकियागत विफलता:–

शंटिंग के दौरान दोनों रेल अवपथन की घटनाऐं शंट सिगनल के ऑन स्थिति में पार करने के कारण घटित हुई । शंट सिगनल के द्वारा शंटिंग का नियमन जहॉ होता है वहॉ शंट सिगनल के अनुपालन की जिम्मेवारी शंटर/लोको पालयट की होती है और दोनों ही मामले में लोको पायलट के द्वारा शंट सिगनल का अनुपालन नहीं किया गया ।

शंटिंग के दौरान उपरोक्त दोनों अवपथन शंटर/लोको पायलट द्वारा शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के अनुपालन नहीं करने एवं शंट सिगनल की अवहेलना किये जाने के परिणामस्वरूप घटित हुई ।

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियॉ :–

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के निम्नलिखित नियमों का सर्वसंबंधित यथा शंटर, शंटिंग कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उद्यृत किया जा रहा है:–

(I) शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियम 5.13(1) के अनुसार शंटिंग कार्य किया जाएगा । इस नियम के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण सिगनल या हैंण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा ।

CamScanner

(II) सहायक नियम 5.13 (क का II) के अनुसार विद्युत इंजन में लोको पायलट अगले कैब से ही शंटिंग करेंगे । डीजल लोको में शंटिंग की दिशा वाले ड्राईविंग कंट्रोल स्टैण्ड से ही शंटिंग कार्य करेंगे ।

(III) सामान्य नियम 5.13 (2) के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सतर्क रहेगा।

(IV) सहायक नियम सं0 5.14 (14) में वर्णित है कि यात्री वहन करने वाली गाड़ी के शंटिंग के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व शंटिंग जमादार या गार्ड/स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

सुनील कुमार 03.10.24
(सुनील कुमार)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0 ।
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0 (सम0)/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।

CS CamScanner